

2025/841

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 08/01/2026

कमांक/रीडर/2025/217

उगवानी प्रकरण राजस्थान बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुक्तगा संख्या - 265/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयवस्तुगत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 15/भू.अ./2025 दिनांक 02/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम दोलतपुर पटवारी हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नं. मुग़े खाता संख्या 28 में खातेदार महलाड बाहाय पुत्र पद्मनाभ के स्थान पर महलाड स्वामी पुत्र पुत्र का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का हाथीदेह उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/218-219

दिनांक 08/01/2026

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



प्रतिवेदन पटवारी हल्का -

दस्तावेज

श्रीमान जी, राजबहादुर लाल बोलतपुरा के 28 वे
जारी का नाम प्रहलादराय पुत्र प्रेमदास सोम स्वामी 300 रिफाई है
जबकि जारी ने प्रहलाद स्वामी पुत्र प्रेमदास के नाम से प्रमाण
पेश किए हैं सरांच गांव में हलादकाबाब ने भी प्रमाण पत्र पेश कि जो
है फाई में ही संलग्न है
अतः गांव बोलतपुरा के 28 वे जारी का नाम प्रहलादराय
पुत्र प्रेमदास को जारी के स्थान पर प्रहलाद स्वामी पुत्र प्रेमदास को जारी करके
किताब नाम अचिर है

हस्ताक्षर पटवारी
12.10.25
प्र. ए. ह. का. न.

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:-

जांच की

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं
मुताबिक संलग्न प्रमाणों पर श्रद्धि उठा जाये
दखिल है

2.10.25
प्र. ए. ह. का. न.

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

GSS उपांग - 15
2.10.25

मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट एवं P.R की जांच
परचात श्रद्धि ही अभिलेखा ही जाती है।

हस्ताक्षर तहसीलदार
श्रीमाधोपुर

आदेश (शिविर स्थान:- , दिनांक:-)

पटवारी हल्का हरदास का वास व मु.अभिहत शाइली की
जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मुताबिक रिपोर्ट
के आधार पर गांव बोलतपुरा के खाना सं. 28 में प्रहलाद
सहाय पुत्र प्रेमदास के स्थान पर प्रहलाद स्वामी पुत्र प्रेमदास
को जारी करके उठा जाये जहाँ से दुबारा जारी गांव
की खीहारी की जाती है

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

265
10-10-25